न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-367RAAJodhpur2023-185RTA223 Sarswati Vs Muralidhar etc

सरस्वती पुत्री स्व. हरचंद जी, पत्नी मोहनलाल जी पालीवाल,
निवासी— मौखेरी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मुरलीधर पुत्र स्व. श्री हरचंद जी
2. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री हरचंद जी
3. महावीर पुत्र स्व. श्री हरचंद जी
   जातियान् पालीवाल, निवासीगण— बिजलीघर के पास, डोली मगरा, बाप, तहसील बाप, जिला फलोदी।
4. कौशल्या पुत्री स्व. श्री हरचंद जी, पत्नी रेखराज जी, जाति पालीवाल, निवासी— मावा, तहसील जैसलमेर।
5. संतोष पुत्री स्व. श्री हरचंद जी, पत्नी लालचंद जी, जाति पालीवाल, निवासी— मावा, तहसील जैसलमेर।
6. शारदा पुत्री स्व. श्री हरचंद जी, पत्नी राधेश्याम जी, जाति पालीवाल, निवासी— भादू गांव, तहसील तिमरली, जिला हरदा, मध्यप्रदेश।
7. राधा पुत्री स्व. श्री हरचंद जी, पत्नी भंवरलाल जी, जाति पालीवाल, निवासी— बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 1985 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 34/1985 मुरलीधर व अन्य बनाम हरचंद इत्यादि

उपस्थित—
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता—अपीलाण्ट
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक, तीन, चार, पांच व सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 24 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/1985 अनवान मुरलीधर व अन्य बनाम हरंचद इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 1985 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपींलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थीनी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2465 रकबा 60.07 बीघा, खसरा नबर 2472 रकबा 46.04 बीघा, खसरा नबर 2467/2855 रकबा 100.19 बीघा, खसरा नंबर 970/2857 रकबा 64 बीघा कुल रकबा 271.10 बीघा ग्राम बाप तहसील बाप के सबंध में धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थीनी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई 1985 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात के तत्समय के खातेदार हरचंद जी की पुत्री है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अपीलार्थीनी एवं उनकी बहनों को वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना उनसे बाले–बाले दावा प्रस्तुत कर आपस में दुरभि–संधी करके अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवायी है। वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन वादग्रस्त आराजीयात का बेचान/हस्तांतरण करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीनी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदासर स्व. हरचंदजी का सन् 1992

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में देहांत होने पर उनके वारिसान् तीन पुत्र एवं पांच पुत्रीयां थी, जिन्हें वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी अधिकार विरासतन प्राप्त हुए तथा अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात पर बतौर सहखातेदार काबित काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2023 को अपीलार्थीनी को वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त करने से रोका तथा कहां कि वे वादग्रस्त आराजीयात उर्जा कम्पनी वालों को बेचेंगे, उनसे बातचीत चल रही है, तब अपीलार्थी ने कहां कि वह भूमि बेचना नहीं चाहती है, तब रेस्पोडेंट्स ने कहां कि अपीलार्थी की जरूरत नही है। रेस्पोडेंट्स अकेले ही भूमि बेच देंगे, क्योंकि संपूर्ण खाता उनके नाम है। तब अपीलार्थीनी द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की जानकारी चाही तो पता चला कि सहायक कलक्टर फलोदी के निर्णय एव डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा स्व. हरचंद जी का नाम केवल 1/4 हिस्से में ही दर्ज किया गया। अपीलार्थीनी द्वारा विचारण न्यायलाय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी चाही तो उक्त निर्णय की पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा होना बताया गया, तब अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 31.07.2023 को जिला अभिलेखागार में अपने अधिवक्ता के जरिये नकल अर्जी पेश करवायी तथा दिनांक 18.09.2023 को जोधपुर आयी तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा नकल काफी समय पहले प्राप्त की जा चुकी है। उक्त नकल को पढने पर पहली बार अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी हुई। अपीलार्थीनी द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान हरचंद के नाम से जारी किया गया। इस कारण स्व. हरचंद जी के जीवन काल में उनके पुत्रों को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हो सकते थे एवं न ही वादकरण पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये तथाकथित राजीनामा से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच दुरभी–संधी थी एवं उन्होने आपसी मिलावट से गलत बयानी करते हुए डिक्री हासिल की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अपने पिता की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा अपीलार्थीनी को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए मामले में उनके पिता की बिना तामील ही राजीनामा प्रस्तुत करवाकर विधि विरूद्ध तरीके से वाद डिक्री करवा दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीनी के पुश्तैनी अधिकारों का हनन करने वाला एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 1985 को अपास्त फरमाया जावे एवं वादीगण के वाद को खारिज किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खातेदार स्व. हरचंद जी के सभी वारिसान् के नाम से दर्ज करने के आदेश फरमावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2020(2) आर.आर.टी. 998, सी.सी.सी.1999(2) पेज 8, की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्से अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पक्षकारान् की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पारित की है। अपीलार्थीनी द्वारा अपीलार्थीनी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के लगभग 35 साल बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पक्षकारान् की ओर से पारिवारिक व्यवस्था–पत्रक निष्पादित किया था, उक्त दस्तावेज पर अपीलार्थीनी के पति मोहनलाल की बतौर गवाह साख मौजूद है, जिससे यह साबित है कि अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनी विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं थी। वादग्रस्त आराजी स्व. हरचंदजी की पुश्तैनी खातेदारी न होकर उनकी स्वअर्जित संपति थी, जिसमें अपीलार्थीनी को पुश्तैनी आधार पर हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीनी की अन्य बहनों को अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 1989आर.आर.डी.564, 1999ए.आई.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आर.(राज.)216, 1991आर.आर.डी.164, 1996ए.आई.आर.(राज.)219, 1996ए.सी.जे. 1057, 2006(3) डी.एन.जे. 1347, 1999 ए.आई.एच.सी. 983 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गहन मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गहन परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी को अपनी पैतृक संपति माना है तथा अपीलार्थीनी को अपनी बहन होना स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष की उक्त स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पुश्तैनी भूमि होने से अपीलार्थीनी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी ठहरती है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थीनी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट्स विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित न होने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर न होना स्वाभाविक है। जहां तक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि उभय पक्ष में दिनांक 26 जुलाई 1990 को पारिवारिक व्यवस्था–पत्रक निष्पादित हुआ, जिस पर अपीलार्थीनी के पति की साख है। अदालत हाजा की राय में उक्त पारिवारिक व्यवस्था–पत्रक पर अपीलार्थीनी के किसी प्रकार के हस्ताक्षर मौजूद न होने तथा न ही उक्त दस्तावेज के जरिये उसे पुश्तैनी संपति में हिस्सा मिलने से उक्त पारिवारिक व्यवस्था–पत्रक की जानकारी नही होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में अपीलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है। रेस्पोडेंट्स की ओर से म्याद के बिंदु पर प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से मामले पर लागू नहीं होते है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि **प्रतिवादी संख्या एक संयुक्त हिंदु परिवार का सदस्य होने से तथा कर्ता खानदान होने से वक्त पैमाईश पर्चा लगान उनके नाम से जारी कर दिया गया, जबकि वादग्रस्त आराजी पुरे संयुक्त परिवार की है।** वादीगण के इन कथनों से साबित है वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अपीलार्थीनी का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक–हिस्सा व अधिकार निहित है। 2020(2)आर. आर.टी. पेज 997 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि **सहदायगी की संपति में बेटियों का भी जन्म से समान अधिकार है। बेटियों को भी हिंदु उताराधिकार अधिनियम की धारा 06 के तहत पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है। विभाजन की डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रियॉ भी सहदायी हिस्से में समान हिस्से हेतु हकदार है। पुत्रियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।** हस्तगत मामले में अपीलार्थीनी को मूल वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उसके पुश्तैनी भूमि में प्राप्त खातेदारी अधिकारों से महरूम किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि–विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/1985 अनवान मुरलीधर व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम हरंचद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 1985 निरस्त किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलार्थीनी को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम पर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर